न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 169 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1 मागी देवी पत्नि रामुराम
2 मालीराम पुत्र रामुराम
3 बाबुलाल पुत्र रामुराम
4 परमेश्वरी देवी पुत्री रामुराम
समस्त जाति–जाट निवासीगण कल्याणपुरा पटवारी हल्का– कुली तहसील– दांतारामगढ, जिला– सीकर (राज0)।

–वादीगण

ब ना म

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला– सीकर।
2 पटवारी– पटवारी हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला– सीकर।
3 सरपंच, ग्राम पंचायत कुली।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत व्यादेशात्मक आदेश, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड वकील वादी की ओर सें।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

नि र्ण य **दिनांक – 11.01.2022**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख.नं. 666 व 668 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0, ख.नं. 669 रकबा 0.02 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.02 है0, ख.नं. 672 रकबा 1.96 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.96 है0, ख.नं. 671 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 674 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल किात 0.02 है0, ख.नं. 670, 673, 675, 677, 695, 696 कुल किता 6 कुल रकबा 3.39 है0 वाके ग्राम कुली व ख.नं. 771 ता 773 कुल किता 3 कुल रकबा 3.26 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवारी हल्का कुली तहसील दांतारामगढ में अवस्थित होने व वाका भी होने से उक्त वाद श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में सादर प्रस्तुस्त है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादीया संख्या 1 के पति तथा वादी संख्या 2 ता 4 के पिता रामुराम की वल्दियत गलत रूप से छिगनाराम दर्ज है। जबकि रामुराम के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों, वोटर आईडी, परिवार

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

राशन कार्ड, वगैरः में रामुराम पुत्र बोदूराम दर्ज था। तथा उसी अनुसार वादीगण के पिता/पति के मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा वारिस प्रमाण–पत्र में भी रामुराम सियाक पुत्र बोदुराम सियाक जाति जाट दर्ज हो रखा है, उक्त वल्दियत में दो अलग–अलग नाम होने की वजह से वादीगण का विरासत का नामान्तरण नहीं भरा जा रहा है। इसलिए वादीगण के पिता/पति रामूराम पुत्र बोदूराम का नाम जो राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दियों में दूसरे नाम रामूराम पुत्र छिगनलाल दर्ज हो रखा उसे दुरूस्त कर रामूराम पुत्र बोदूराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दियों को दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादीगणों के पिता रामुराम के पिता जी का सही व वास्तविक नाम बोदूराम ही था तथा उक्त बोदूराम को गॉव में छिगनाराम भी कहते थे। अर्थात् छिगनाराम उर्फ बोदूराम एक ही व्यक्ति था। जिसको छिगनाराम और बोदूराम दोनों नामों से जाना जाता था। वादीगणों का परिवार अल्प पढा–लिखा परिवार है। जिसकी वजह से वादीगणों के पिता रामुराम की वल्दीयत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दियों में रामुराम पुत्र छीगनलाल दर्ज चली आ रही है। तथा अन्य दस्तावेजों यथा वोटर आईडी, परिवार राशन कार्ड, बिजली का बिल, वगैरः में वादीगण के पिता स्व0 रामुराम की वल्दियत बोदूराम दर्ज हो रखा है। तथा वादीगणों द्वारा बनाये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र में भी वादीगण के पिता की वल्दियत बोदूराम दर्ज हो रखी। जबकि जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दियों में स्व0 रामुराम की वल्दियत छिगन लाल दर्ज हो रखी है। जिसकी वजह से वादीगणों का विरासत का नामान्तरण भी पिछले 5 सालों से नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से वादीगण अपने हक अधिकारों की आराजियात का समूचित उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीगण ।किसी सरकारी सहायता KCC वगैरह का भी उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वादीगण को घोर मानसिक व आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिये पेरा सं. 1 में वर्णित आराजियात में राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करते हुये वादीगण के पिता/पति रामुराम पुत्र छिगनलाल की जगह रामू राम पुत्र बोदूराम दर्ज कर विरासत का नामान्तरण खोलने के आदेश प्रदान कर, राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वाद कारण आज से 10–15 रोज पूर्व पटवारी हल्का–कुली द्वारा वादीयागण का विरासत का नामान्तरण भरे जाने से मना कर, श्रीमान् जी के यहॉ कार्यवाही करने हेतु कहने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी, तांतारानगढ

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 666 व 668 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0, ख.नं. 669 रकबा 0.02 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.02 है0, ख.नं. 672 रकबा 1.96 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.96 है0, ख.नं. 671 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 674 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल किात 0.02 है0, ख.नं. 670, 673, 675, 677, 695, 696 कुल किता 6 कुल रकबा 3.39 है0 वाके ग्राम कुली व ख. नं. 771 ता 773 कुल किता 3 कुल रकबा 3.26 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवारी हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रामूराम पुत्र छिगनलाल के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम रामूराम पुत्र बोदुराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी। वादी स्वंय व अन्य खातेदार मालीराम पुत्र रामूराम व जीवनराम पुत्र छीगनाराम ने साक्ष्यवादी के समर्थन मे शपथ–पत्र पेश किया। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामूराम पुत्र छिगनलाल के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम रामूराम पुत्र बोदुराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यो का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम कुली के खसरा नम्बर 670, 673, 675, 677, 695, 696, 669, 666, 668, 672, 671, 674, 771, 772, 773 में प्रार्थी से सम्बन्धित जांच कि गयी। उक्त खसरा नम्बर में खातेदारी रामूराम पुत्र छीगनलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट के नाम दर्ज है। उक्त खातेदारी नामान्तकरण संख्या 549 सोनी बेवा छिगना हिस्सा 1/4 में जीवणराम, रामूराम पिता छिगना हिस्सा 1/4 द्वारा प्राप्त हुई है। जबकि दस्तावेजों ग्राम पचायत कुली के सरपंच द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र व खातेदार के पुत्र बाबुलाल पुत्र रामूराम द्वारा दिये गये शपथ पत्र में खातेदार का नाम रामूराम पुत्र छिगनराम/बोदुराम बताया गया है। सहखातेदारों व अन्य मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि बोदुराम पुत्र नानूराम व छिगनलाल पुत्र नानूराम दोनों सगे भाई थे। छिगनलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

नानूराम की मृत्यु होने पर सोनी पत्नि छिगनलाल का पुर्नविवाह बोदुराम पुत्र नानूराम के साथ किया गया। अतः रामूराम पुत्र बोदुराम व रामूराम पुत्र छिगनराम दोनों एक ही व्यक्ति है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा सहखातेदारों के शपथ पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। वादीगण का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 666 व 668 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0, ख.नं. 669 रकबा 0.02 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.02 है0, ख.नं. 672 रकबा 1.96 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.96 है0, ख.नं. 671 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 674 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल किात 0.02 है0, ख.नं. 670, 673, 675, 677, 695, 696 कुल किता 6 कुल रकबा 3.39 है0 वाके ग्राम कुली व ख.नं. 771 ता 773 कुल किता 3 कुल रकबा 3.26 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवारी हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामूराम पुत्र छिगनलाल के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम रामूराम पुत्र बोदुराम उर्फ छिगनलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/1/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ